ISSN 2278-8808 IMPACT FACTOR: 1.38
An International Peer Reviewed
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

निर्धनता के कारण बाल श्रमिकों की रोजगार सहभागिता की स्थिति

(औरैया जनपद के विशेष संदर्भ में)

आशुतोष मिश्रा

शोध छात्र—अर्थ शास्त्र, जनता महाविद्यालय अजीतमल औरैया

Abstract

जनपद औरैया की औरैया तहसील के विकास खण्ड अजीतमल में नगर पंचायत अजीतमल तथा नगर पंचायत अटसू में २०—२० परिवारों से व्यक्तिगत बाल श्रमिकों की रोजगार सहभागिता के बारे में पूछताछ करने के पश्चात यह प्रदर्शित हुआ कि अजीतमल में विभिन्न व्यवसाओं में ९२ को जनसंख्या में ३ प्रतिशत बाल श्रमिक है, जबकि अटसू में १०२ जनसंख्या में २.५ प्रतिशत बाल श्रमिक है। सभी बाल श्रमिक कृषि तथा कृषि से जुड़े हुये उद्योग धन्धों में अपनी सहभागिता दर्शा रहें हैं।

पारिभाषिक शब्द: *कृषि उद्योग, अल्प विकसित राष्ट्र, आय स्तर, कृषि संसाधन*

विवेचना एवं निष्कर्ष: विश्व के सभी अल्प विकसित राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर अत्यधिक न्यून है। इसके अतिरिक्त आय के वितरण में भी विषमता स्पष्ट परिलक्षित होती है। इस विषमता ने इन राष्ट्रों में कई समस्यायों को जन्म दिया है। इसमें सबसे गम्भीर समस्या है निर्धनता या गरीबी। ''निर्धनता से अभिप्राय है जीवन स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता के लिये न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता''। सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या और उससे निजात दिलाने हेतु उपाय सुझाने के लिये ''गुरुपाद स्वामी समिति'' का गठन १९७९ में किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल मजदूरी (प्रतिबन्ध व विनियमन) अधिनियम को १९८६ में लागू किया गया। राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना के तहत शामिल नीति के अनुसार १९८१ की जन गणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग १.१ करोड़ थी। संसाधनों की कमी और सामाजिक चेतना और जागरूकता के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुये सरकार ने १०वीं पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक देश से बालश्रम समाप्त करने की समय सीमा निर्धारित की है। दुनिया में जितने बाल श्रमिक है उनमें सबसे ज्यादा बाल श्रमिक भारत में है। देश के करीब ५० प्रतिशत बच्चे बचपन के अधिकारों से वंचित है और वे अनपढ़ कामगार ही बने रहेंगे और उन्हें सच्ची क्षमतायें हासिल करने का कोई मौका नही मिलेगा। ऐसी स्थिति में कोई भी देश कोई महत्व पूर्ण उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद नही कर सकता। बच्चे किसी देश या समाज की महत्वपूर्ण सम्पत्ति होते है। जिनकी समुचित सुरक्षा, पालन—पोषण शिक्षा एवं विकास का दायित्व भी राष्ट्र और समुदाय का होता क्यों कि कालान्तर में यही बच्चे देश के निर्माण और

राष्ट्र के उत्थान के आधार स्तम्भ बनते है। विकासशील देशों में यह समस्या अधिक विकराल रूप में दृष्टिगत हो रही है। आज विश्व में लगभग २५ करोड़ बाल श्रमिक है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिर्पोट के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। भारत में अनुमानत: बाल श्रमिकों की संख्या ४४० लाख से १००० हजार लाख तक है। किन्तु अधिकृत रूप से इनकी संख्या १७.५ लाख बताई गई है। कुल श्रमिकों का ३० प्रतिशत खेतिहार मजदूर, ३०—३५ प्रतिशत कल कारखानों में कार्यरत है। शेष पत्थर खदानों चाय की दुकानों, ढाबों तथा रेस्टोरेन्ट एवं घरेलू कार्यों में लगे हुये है एवं गुलामों जैसा जीवन जी रहे है। भारत में बाल श्रमिकों की स्थिति निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट है।

स्थान	**उद्योग**	**बाल श्रमिकों की संख्या**
उत्तर प्रदेश		
लखनऊ	जरी की कड़ाई	४५०००
मिर्जापुर, भदोही	कालीन	३००००
फिरोजाबाद	काँच व पीतल	५००००
वाराणसी	सिल्क की बुनाई कसीदा	१५०००
वाराणसी	हैंडलूम	९०००
सहारनपुर	लकड़ी की नक्कासी	१२०००
मुरादाबाद	पीतल बर्तन	४५०००
राजस्थान		
जयपुर	कालीन	२००००
जयपुर	रत्न पॉलिश एवं जवाहरात	१५००००
मध्य प्रदेश		
मंदसोर	स्लेट पेन्सिल	२०००
सम्पूर्ण भारत वर्ष	वैश्यावृत्ति	२०००००

अनुसंधान विधि

उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के औरैया तहसील के अन्तर्गत अजीतमल विकास खण्ड में अजीतमल तथा अटसू नगर पंचायत क्षेत्रों का अध्ययन किया। प्रत्येक नगर पंचायत में से २०—२० परिवारों का अध्ययन किया. नगर पंचायतों से परिवारों का चयन दैव निदर्शन विधि द्वारा किया। जिसमें कुल मिलाकर ४० परिवारों का चयन किया गया। अजीतमल में २० परिवारों में कुल ९२ लोगों तथा अटसू में १०२ लोगों का व्यक्तिगत अध्ययन करने पर जो आकड़ें प्राप्त हुये उनका औसत प्रस्तुत किया गया।

सर्वेक्षण आँकड़ों की स्थिति

अजीतमल अटसू नगर पंचायत क्षेत्रों में औसत बाल श्रमिकों की रोजगार सहभागिता।

शहर/नगर का नाम व्यवसाय		अजीतमल	अटसू	औसत सहभागिता
कृषि	औसत	०.२०	०.२०	०.२०
	कुल	४.००	४.००	४.००
पशुपालन	औसत	०.२०	०.२१	०.२०
	कुल	४.००	४.२०	४.१०
सिलाई	औसत	०.१०	०.१२	०.११
	कुल	२.००	२.४०	२.२०
राजगीरी	औसत	०.१०	०.१५	०.१३
	कुल	२.००	३.००	२.७०
रेशमपालन	औसत	०.१०	—	०.०५
	कुल	२.००	—	१.००
कुटीर उद्योग	औसत	०.१०	—	०.०५
	कुल	२.००	—	१.००
दुकानदारी	औसत	०.२१	०.२२	०.२१
	कुल	४.२०	४.४०	४.३०
अन्य	औसत	०.१०	०.१२	०.११
	कुल	२.००	२.४०	२.२२
औसत	औसत	०.१४	०.१३	०.१३
	कुल	२.८०	२.६०	५.४०

अजीतमल तथा अटसू नगर पंचायत क्षेत्र में औसत बाल श्रमिकों को रोजगार सहभागिता से स्पष्ट होता है कि जो व्यवसाय इन क्षेत्रों में अधिकतर लोगों द्वारा अपनाये गये जैसे कृषि पशुपालन, सिलाई, राजगीरी, रेशम पालन, कुटरी उद्योग, दुकानदारी तथा अन्य में से बाल श्रमिकों की औसत भागीदारी कृषि में ०.२० पशुपालन ०.२० तथा अन्य दुकानदारी में ०.२१ है। जबकि राजगीरी (मजदूरी) ०.१३ सिलाई ०.११ कुटीर उद्योग में ०.०५ तथा रेशम पालन में ०.०५ है। अन्य व्यवसाय में औसत भागीदारी ०.११ हैं। अजीतमल नगर पंचायत क्षेत्र में कृषि व्यवसाय में २० परिवारों में से ४ तथा अटसू में भी ४ बालक इस व्यवसाय में अपना हाथ बटाते है। इसी प्रकार पशुपालन में ४ बालक अजीतमल में अटसू में ४.२ बालक लिप्त रहते है सिलाई में अजीतमल में २ बालक तथा अटसू में २.४ बालक कार्य करते हैं। राजगीरी में अजीतमल में २. ४ बालक तथा अटसू में ३ बालक सहभागिता प्रकट करते हैं। रेशम पालन में केवल अजीतमल में २ बालक सहभागिता प्रकट करते है। कुटरी उद्योग में अजीतमल में २ बाल श्रमिक कार्य करते है। दुकानदारी में ४.२ बालक तथा अटसू में ४.४ बालक कार्य कर रहे है। अन्य व्यवसाय जैसे सब्जी बेचना, फल बेचना आदि में अजीतमल में २ बाल श्रमिक तथा अटसू में २.४ बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं। अजीतमल में सर्वाधिक बाल श्रमिकों की भागीदारी दुकानदारी में ४.२, कृ षि तथा पशुपालन में ४—४ है। कुल अपनाये गये व्यवसायों में बीस परिवारों की कुल ९२ जनसंख्या में से मात्र ३ प्रतिशत बाल श्रमिक इस नगर में है। अटसू में बाल श्रमिकों की स्थिति

इस प्रकार है— कृषि में ४.०, पुशपालन में ४.२. सिलाई में २.४, राजगीरी में, ३.० दुकानदारी में, ४.४ तथा अन्य में २.४। २० परिवारों की कुल जनसंख्या में २.५ प्रतिशत बाल श्रमिक ही व्यस्त है।

विश्लेषण

दोनों नगर पंचायत क्षेत्रों के अध्ययन से स्पस्ट है कि कृषि, पशुपालन तथा दुकानदारी में बाल श्रमिकों का काफी जुड़ाव है। पिछड़े होने के कारण लोग बालकों को इन कार्यों में लिप्त कर लेते हैं। जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर सकें। रंजन राय (२०००), शान्ति सचान (२००५), कुमारी रूपम तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली ने बाल श्रमिकों की रोजगार में सहभागिता का आकलन और उससे पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों को प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त सभी के अनुसार बाल श्रमिकों की सहभागिता का कारण अशिक्षा, गरीबी व पारिवारिक आय के संसाधनों की कमी का होना है।

निष्कर्ष —

उपर्युक्त लिखित शोधपत्र पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत निकाला गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर औरैया तहसील में रोजगार के साधन बिल्कुल नहीं है। अत: परम्परागत आय के साधनों जैसे कृषि, पशुपालन तथा उससे जुड़े हुये व्यवसायों से ग्रामीण परिवार बालकों के सहयोग से अपना जीवन यापन कर रहे है। यदि शिक्षा तथा रोजगार के नये नये साधनों का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाये तो इस ज्वलंत समस्या से निदान मिल सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

१ उमेश चन्द्र अग्रवाल (२००६) *''बाल श्रमिक की विभीषिका*
कुरुक्षेत्र नवम्बर पृष्ठ सं. ३२

२ नरैनी सिंह जोशी (२००६) *''ग्रामीण बाजार''*
योजना अप्रेल पृष्ठ सं. २५—२९

३. बृजेश कुमार तिवारी (२००६) : *''बाल श्रमिक अस्तित्व की खोज में''*
कुरुक्षेत्र नवम्बर पृष्ठ सं. ४०.

४ राकेश शर्मा (२००६) : *''बाल श्रम उन्मूलन के लिये आवश्यक्ता*
है — ''वैकल्पिक रोजगार की''
कुरु क्षेत्र नवम्बर पृष्ठ सं ४२

५ शान्ता सिन्हा (२००६) : *''गरीबों के लिये शिक्षा का हक योजना*
नवम्बर पृष्ठ सं. १५—१९

६. अरोड़ा आर. सी. *उद्योग एवं ग्रामीण विकास १९७८*

७. अग्रवाल डॉज एनज्एलज: *भारतीय कृषि का अर्थ तंत्र राजस्थान*
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

८. प्रकाश नारायण नाटाणी (२००७) : *''ग्रामीण गरीबी तथा बेरोजगारी*
कारण और समाधान''
कुरुक्षेत्र जुलाई पृष्ठ सं. ४०—४४

९. प्रतियोगिता दर्पण २००७—०८ : *''भारत में गरीबी*
अतिरिक्ताक भारतीय अर्थव्यवस्था पृष्ठ सं. ४९